स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ (3)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015–16/91 दिनांक : 21/01/2016

प्रिंसीपल एवं कन्ट्रोलर

मेडिकल कॉलेज (समस्त)

विषयः भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत आने वाले डिजीज पैकेज को वर्तमान दरों पर ही उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

1. चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों के आचार्य एवं विभागध्यक्षों द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत निर्धारित पैकेज राशि के अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में समस्त पैकेज आपके एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सभी विभागध्यक्षों एवं प्राचार्यो द्वारा ही निर्धारित कर दरें तय की गई थीं।
2. माननीय मंत्री महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 19.01.2016 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि **वर्तमान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले मरीजों को वर्तमान में निर्धारित पैकेज दरों के अनुसार ही इलाज करना होगा तथा किसी भी मरीज को इलाज से मना नहीं करना होगा।**
3. पैकेज दरों की बढी हुयी राशि की मांग को मद्देनजर रखते हुए पैकेज दरों के संशोधन हेतु मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है अतः सभी पैकेज पर सबंधित विभागध्यक्षों से सुझाव लेते हुये आप अपने स्तर से पूर्ण समीक्षा करें तथा जिन पैकेज में संशोधन की आवश्यकता है, उन पर परिवर्तित डिजीज पैकेज राशि, नये डिजीज पैकेज के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भिजवायें। इसके पश्चात भविष्य में किसी प्रकार के नये सुझाव नहीं लिये जायेंगे इसके पश्चात यदि पैकेज के संबंध में किसी आचार्य या विभागध्यक्ष द्वारा बढी हुई राशि की मांग की जाती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ (3)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015–16/91 दिनांक : 21/01/16

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–</u>

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
4. विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
5. विशिष्ट शासन सचिव अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
6. समस्त, प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. प्रभारी सर्वर रूम को लेख है कि ई–मेल करवाने का श्रम करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

सी.ई.ओ.
एस.एच.ए.ए.